प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1163 सन 2021
अनवान :–

1. काशीराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. भूपसिह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र हंसराजजाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
3. भागमल उर्फ भागीरथ पुत्र हसराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
4. माडूराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 07.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 261/226 की कुल 12.9030है० प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम से एवं 1 आरएमएस के खाता संख्या 13/15 की कुल 1.0120है० वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 168/159 की कुल 5.8190है० वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है एवं आपस में भाई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वाद भूमि काश्त एवं सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद की मद संख्या 4 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरानत प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस मे भाई है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वाद भूमि की काश्त की सुविधा एवं सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी

Scanned with CamScanner

सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था बाहमी बटवारा के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 261/226 की कुल 12.9030हैक भूमि में वादी अकेला 0.4032हैक व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिय 2.6328हैक एव रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता सख्या 13/15 की कुल 1.0120हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मौजा चक 15 एनटीआरए के खाता संख्या 168/158 की कुल 5.8190हैक भूमि में वादी अकेला 1.2650हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.0120हैक प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.0120हैक भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... परलीका

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवानी:–

1. काशीराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भूपसिह पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र हंसराजजाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
3. भागमल उर्फ भागीरथ पुत्र हसराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
4. माडूराम पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1163 सन 2021 निर्णय दिनांक– 07.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 261/226 की कुल 12.9030हैक्ट भूमि में वादी अकेला 0.4032हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 2.6328हैक्ट एव रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 13/15 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 168/158 की कुल 5.890हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.2650हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.0120हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.0120हैक्ट भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....परलीका

Scanned with CamScanner